बीएसई लिमिटेड

२५ वाँ तल, पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१

CIN No: L67120MH2005PLC155188

BSE EXPERIENCE THE NEW

सार्वजनिक सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, २०२१ (''असूचीकरण विनियम'') के विनियम ३२(३), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६ के अनुच्छेद २१ए के अंतर्गत निर्मित नियम और बीएसई लिमिटेड (एक्सचेंज) के नियमों, उप–नियमों और विनियमों के अनुसार, एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एक्सचेंज निम्नांकित **०४** कंपनियों का एक्सचेंज से असूचीकरण करने का प्रस्ताव करता है, क्योंकि उक्त कंपनियों द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ उनकी प्रतिभूतियों के अनिवार्य असूचीकरण के लिए आधार बनाया गया है.

एक्सचेंज द्वारा एक सूचना निम्नांकित कंपनियों को उस पते पर जारी की गई है जो एक्सचेंज के, तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अभिलेखों (जहाँ अलग हो) में अंतिम रूप से ज्ञात थे, जिसमें उक्त कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे इस बात का कारण बताएं कि एक्सचेंज इन कंपनियों के अनिवार्य सूचीकरण के साथ क्यों आगे नहीं बढ़े.

इन कंपनियों की सूची अभिलेखों के अनुसार उनके अंतिम ज्ञात पते के साथ नीचे दी गई है :

क्रमांक	स्क्रिप कोड	कंपनी का नाम	एक्सचेंज रिकॉर्ड के अनुसार पता
१	५३१४८६	फिल्मसिटी मीडिया लिमिटेड	२ /१९ , ओम हीरा पन्ना मॉल, ओशिवारा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५३
२	५११६८२	आईएफएल प्रमोटर्स लिमिटेड	ए - ६६ , दूसरी मंजिल, गुरु नानक पुरा, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, दिल्ली - ११००९२
३	५३०५१९	इंटरफेस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	तीसरी मंजिल, चिनूभाई हाउस, ७ -बी, अमृतबाग कॉलोनी, सरदार पटेल स्टेडियम के सामने, हिंदू कॉलोनी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - ३८००१४
४	५०२४६५	स्पेशलिटी पेपर्स लिमिटेड	१०५, पहली मंजिल, श्री जलाराम कॉम्प्लेक्स को-ओपरेटिव सोसाइटी, डीसीबी बैंक के पास, सिलवासा रोड, वापी, गुजरात - ३९६१९१

टिप्पणियाँ:

उपरोक्त कंपनियों के प्रमोटरों, निदेशकों और प्रबंधन कर्मियों के विवरण एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर व्यक्तिगत कंपनी के वेबपेज पर 'मैनेजमेंट' के अंतर्गत 'कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन' टैब के अंतर्गत उपलब्ध है. उक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन के मामले में, इसे तुरंत एक्सचेंज को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसे इस सूचना की तिथि से १५ कार्य दिवसों के भीतर नीचे निर्दिष्ट तरीके से सूचित किया जाना चाहिए.

उपरोक्त कंपनियों के प्रमोटरों सहित सभी संबंधितों को यह ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि एक्सचेंज उपरोक्त कंपनियों की प्रतिभूतियों को अनिवार्य रूप से असूचीकृत करने का प्रस्ताव करता है और असूचीकरण विनियमों में प्रदान किए गए अनिवार्य असूचीकरण के परिणाम इस प्रकार हैं:

१. इन कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना बंद हो जाएगा और इन्हें एक्सचेंज के डिसएमिनेशन बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

२. **असूचीकरण विनियमों २०२१ के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं :**

- **अनिवार्य असूचीकरण के मामले में सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार**

विनियमन ३३ :

''.....(४) कंपनी के प्रवर्तक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने की तिथि के तीन महीने के भीतर मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को प्राप्त करेंगे, जो कि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास अपने शेयरों को बनाए रखने के विकल्प के अधीन होगा.

(५) यदि उप–विनियम (३) के अनुसार उप–विनियम (४) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर सभी शेयरधारकों को देय मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रमोटर उन सभी शेयरधारकों को प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो अनिवार्य असूचीकरण प्रस्ताव के अंतर्गत अपने शेयरों की पेशकश करते हैं.''

- **अनिवार्य असूचीकरण के परिणाम**

विनियमन ३४ :

''(१) जहाँ किसी कंपनी को इस चैप्टर के अंतर्गत अनिवार्य रूप से हटा दिया जाता है, तो कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, व्यक्ति प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसके प्रमोटर और उनमें से किसी के द्वारा प्रमोट की जाने वाली कंपनियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे या किसी इक्विटी शेयर के लिए सूचीकरण की मांग नहीं कर सकेंगे या ऐसे असूचीकरण की तिथि से दस साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे.

(२) ऐसी कंपनियों के मामले में, जिनका उचित मूल्य सकारात्मक है –

(ए) ऐसी कंपनी और डिपॉज़िटरियाँ प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा धारित किन्हीं इक्विटी शेयरों के विक्रय, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करेंगे और कॉर्पोरेट लाभ, जैसे लाभांश, अधिकार, बोनस शेयरों, स्प्लिट आदि, प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों के लिए तब तक रोके रहेंगे, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रमोटर सार्वजनिक शेयरधारकों को इन विनियमों के विनियम ३३ के उप–विनियम (४) के अनुपालन में, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित है, बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं करते;

(बी) अनिवार्य रूप से असूचीकृत कंपनी के प्रमोटर, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी किसी सूचीकृत कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जैसा कि अनुच्छेद (ए) में बताया गया है.''

३. सेबी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, सेबी असूचीकरण विनियम, २०२१ के विनियम ३४(१) में प्रावधान के अनुसार अनिवार्य असूचीकरण के परिणाम कंपनी/ इन कंपनियों के प्रमोटरों/पूर्णकालिक निदेशकों पर लागू नहीं होंगे, यदि अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति या समापन के आदेश की तिथि कंपनी की प्रतिभूतियों के अनिवार्य असूचीकरण की तिथि से पहले होती है.

यदि कोई संबंधित व्यक्ति उपरोक्त कंपनियों की प्रतिभूतियों के प्रस्तावित अनिवार्य असूचीकरण के संबंध में एक्सचेंज को कोई अभ्यावेदन देने का इच्छुक है, तो उसके द्वारा **इस सूचना की तिथि के १५ कार्य दिवसों के भीतर** सभी सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में ऐसा किया जा सकता है. **हस्ताक्षरित अभ्यावेदन की स्कैन की गई प्रति, जिसमें अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, पता और फोन नंबर)** विद्यमान हों, को **अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट ईमेल आईडी यानी bse.delistscn@bseindia.com पर ईमेल किया जाना चाहिए.** किसी बेनामी अभ्यावेदन(नों) को वैध नहीं माना जाएगा.

कृपया ध्यान दें कि निर्दिष्ट ईमेल आईडी के अलावा संचार के किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अभ्यावेदनों को वैध अभ्यावेदन नहीं माना जाएगा और इस प्रकार उन पर एक्सचेंज द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.

बीएसई लि. के लिए और उसकी ओर से.
८ फरवरी २०२३

Continued from previous page

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle - (East),Mumbai - 400 057, Maharashtra, India **Tel No.:** +91 81049 85249; **Investor Grievance Email:** mb@fedsec.in; **Website:** www.fedsec.in ; **Contact Person**: Saipan Sanghvi **SEBI Registration No.:** INM000010163	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Cave Road, Andheri - (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India. **Tel No.:** +91 22 6263 8200 **Fax No:** +91 22 6263 8299 **Investor Grievance E-Mail:** investor@bigshareonline.com **Email:** ipo@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Aniket Chindarkar **SEBI Registration No.:** INR000001385	**Arti Totla** A/8, Sunvilla Complex, Near Chines Hut Hotel, Dahej By Pass Road, Bharuch – 392001, Gujarat, India. **Tel No:** + 91-73590 10333 **Email:** info@leadrubber.com **Website:** www.leadreclaim.com Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS

Investors should note that Investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of our Company at www.leadreclaim.com and also on website of Lead Manager at www.fedsec.in.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS

Application Forms can be obtained from the Registered Office of Lead Reclaim and Rubber Products Limited and the Lead Manager to the Issue - Fedex Securities Private Limited. Application forms shall be available at selective location of Registered Brokers, Bankers to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of National Stock Exchange of India Limited and at the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of NSE and SEBI.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA")

The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DPs. The SCSBs will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in Application Form and the Prospectus and also please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 281 of the Prospectus.

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE ("UPI")

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE: Investors are advised to carefully refer SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018 and as modified through its SEBI circular (SEBI/HO/CFD/ DII2/CIR/P/2019/S0) dated April 3, 2019, SEBI circular (SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76) dated June 28, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/8S dated July 26, 2019, SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DII2/CIR/P/2020/50 dated March 30, 2020, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/2480/1/M dated March 16, 2021, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/ CIR/P/2021/47 dated March 31, 2021, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DII2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/45 dated April 5, 2022 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 dated April 20, 2022 and any subsequent circulars or notifications issued by SEBI in this regard for the procedure to be followed for applying through UPI. Retail Individual Investor have to apply through UPI Mechanism. Retail Individual Investor whose bank is not live on UPI as on date of this circular, may use the other alternate channels available to them viz. Submission of application form with SCSBs/ using the facility linked online trading, demat and bank account list. For further details, please refer the chapter titled **"Issue Procedure"** beginning on page 281 of the Prospectus.

Sponsor Banker/ Banker to the Issue and Refund Banker to the Issue: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

Investor should read the Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 33 of the Prospectus before making any investment decision.

LEAD RECLAIM AND RUBBER PRODUCTS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Jayeshkumar Patel
Managing Director
DIN: 05007490

Date: February 06, 2023
Place: Gujarat

LEAD RECLAIM AND RUBBER PRODUCTS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an Initial Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.fedsec.in, website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.leadreclaim.com. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled **"Risk Factors"** beginning on page 33 of the Prospectus.

The Equity Shares in this Issue have not been and will not be registered under the US Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be Issued and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A of the Securities Act) under Section 4(a) of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those Issue and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be Issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Sunjeet Comm.